

अध्याय 01

कृषि-खाद्य प्रणालियों में रूपांतरण

राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 — कृषि, बागवानी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, फसलोत्तर प्रबंधन एवं किसान कल्याण (बजट 2026-27 की घोषणाओं सहित)

शुरुआत एक कहानी से

बाड़मेर के किसान रामेश्वर जी के पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है। सूखे साल में घर किसने चलाया? — उनकी **4 गायों और 20 बकरियों** ने, दूध बेचकर। यही राजस्थान की खेती का असली चेहरा है — जहाँ **फ़सल और पशुधन साथ-साथ** चलते हैं, इसीलिए 2025-26 में कृषि आय में **पशुधन का हिस्सा (49.35%) फ़सलों (42.61%) से भी अधिक** है।

इस अध्याय में हम समझेंगे राजस्थान की खेती कितनी बड़ी है, कौन-सी फ़सलों में राज्य देश में पहले स्थान पर है, किसानों को बीज-ऋण-बीमा कैसे मिलता है, और सरकार पशुपालकों, दुग्ध उत्पादकों व मछुआरों के लिए क्या कर रही है।

विषय-सूची

- | | |
|--|--|
| 01. विकसित राजस्थान @2047 — कृषि की दृष्टि | 08. कृषि ऋण, सहकारिता एवं फ़सल बीमा |
| 02. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र : योगदान एवं वृद्धि | 09. कृषि सुधार की प्रमुख पहलें (मिशन, सतत कृषि-बागवानी व खाद्य सुरक्षा NFSA) |
| 03. भूमि उपयोग एवं फ़सल प्रतिरूप | 10. फसलोत्तर प्रबंधन — भंडारण, प्रसंस्करण, विपणन |
| 04. प्रचालित भूमि जोत (कृषि गणना 2015-16) | 11. समृद्ध खेती के लिए पशुधन, पशुपालक कल्याण एवं गोपालन |
| 05. कृषि-जलवायु क्षेत्र (10 क्षेत्र) | 12. डेयरी विकास एवं मत्स्य पालन |
| 06. प्रमुख फ़सलों का उत्पादन, उत्पादकता एवं बागवानी | 13. किसान एवं कृषि श्रमिक कल्याण |
| 07. किसानों के लिए एकीकृत सहायता — बीज, उर्वरक, मृदा स्वास्थ्य | 14. बजट 2026-27 एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम |

1. विकसित राजस्थान @2047 — कृषि की दृष्टि

दृष्टि वक्तव्य (Vision Statement)

वर्ष 2047 तक राजस्थान **भारत का अग्रणी "कृषि पावरहाउस"** बनेगा — उत्पादकता, किसानों की आय व पर्यावरणीय स्थिरता तीनों बढ़ेंगी; पशुधन सशक्तीकरण, सहकारिता-आधारित अर्थव्यवस्था, उन्नत कृषि-तकनीकों, सूक्ष्म सिंचाई व जलग्रहण-वनारोपण कार्यों से न्यायपूर्ण, आत्मनिर्भर ग्रामीण विकास होगा।

कृषि-खाद्य प्रणाली (Agri-Food System)

परिभाषा : खेत में उत्पादन से लेकर भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, विपणन और उपभोक्ता की थाली तक पहुँचने वाली पूरी शृंखला, जिसमें फ़सलें, पशुधन, मत्स्य और वानिकी सभी शामिल हैं।

आसान भाषा में : सिर्फ़ "खेती" नहीं, बल्कि खेत से थाली तक की पूरी यात्रा।

उदाहरण : किसान ने सरसों उगाई → गोदाम में रखी → तेल मिल में पेराई हुई → पैकेट बनकर दुकान पहुँचा → हमारे घर की रसोई में आया। यह पूरी कड़ी कृषि-खाद्य प्रणाली है।

समीक्षा में उत्पादन को भंडारण-प्रसंस्करण-विपणन से जोड़ने, सिंचाई-बीज-खाद मज़बूत करने और सहकारिता-ऋण-बीमा-डिजिटल सेवाओं से किसानों को सहारा देने का **एकीकृत दृष्टिकोण** अपनाया गया है। **मिश्रित खेती** (फ़सल + पशुपालन) ने जलवायु व बाज़ार के झटकों के प्रति खेती को अधिक मज़बूत बनाया है।

राजस्थान की कृषि की प्राकृतिक चुनौतियाँ

- ▶ शुष्क व अर्द्ध-शुष्क जलवायु
- ▶ जोतों का छोटा व बिखरा होना (विखंडन)
- ▶ मिट्टी का क्षरण (कटाव व उर्वरता में कमी)
- ▶ पानी की भारी कमी व अनियमित मानसून
- ▶ भंडारण व विपणन की समस्याएँ, वित्तीय संसाधनों की कमी

समाधान की दिशा

- ▶ संसाधनों का कुशल प्रबंधन, टिकाऊ भूमि उपयोग
- ▶ मृदा परीक्षण, संतुलित उर्वरक, जैव-उर्वरक
- ▶ जैविक व प्राकृतिक खेती (विशेषकर वर्षा-आधारित क्षेत्रों में)
- ▶ बूँद-बूँद (ड्रिप) सिंचाई, वर्षा जल संचयन
- ▶ सूखा-रोधी फ़सलें (बाजरा, दालें), कृषि-वानिकी + पशुपालन का मेल

2. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र : योगदान एवं वृद्धि

- ▶ **GSVA में हिस्सा** — चालू मूल्य **25.74%** (₹4.41 लाख करोड़; 2011-12 में 28.56%), स्थिर मूल्य **25.33%** (₹2.23 लाख करोड़); **वृद्धि दर 2025-26 — 3.47%** (चालू) / **0.22%** (स्थिर) — राष्ट्रीय औसत से काफ़ी अधिक हिस्सा, खेती की केंद्रीय भूमिका दर्शाता है।

वर्ष	GVA चालू मूल्य (₹ करोड़)	वृद्धि (%)	GVA स्थिर मूल्य (₹ करोड़)	वृद्धि (%)
2021-22	3,22,739	10.28	1,91,571	2.50
2022-23	3,51,121	8.79	1,99,619	4.20
2023-24	3,88,438	10.63	2,06,474	3.43
2024-25	4,25,904	9.65	2,22,073	7.56
2025-26 (अग्रिम)	4,40,702	3.47	2,22,550	0.22

CAGR — चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर

परिभाषा : किसी अवधि में हर साल की औसत वृद्धि दर, यह मानते हुए कि हर वर्ष की वृद्धि पिछले वर्ष के बढ़े हुए आधार पर हुई (चक्रवृद्धि ब्याज की तरह)।

आसान भाषा में : कई सालों की उछल-कूद वाली वृद्धि को एक "औसत सालाना रफ़्तार" में बदलना।

उदाहरण : कृषि GVA (स्थिर मूल्य) 2021-22 से 2025-26 तक हर साल औसतन **3.82%** बढ़ा; चालू मूल्य पर **8.10%** प्रति वर्ष।

✿ उप-क्षेत्रों का योगदान (चालू मूल्य, 2025-26 अग्रिम अनुमान)

उप-क्षेत्र	कृषि GVA में हिस्सा	GVA (चालू मूल्य)	वृद्धि दर 2025-26 (स्थिर मूल्य)
पशुधन	49.35%	₹2.17 लाख करोड़	5.20% ↑
फ़सलें	42.61%	₹1.88 लाख करोड़	-5.01% ↓
वानिकी एवं लट्ठा (Logging)	7.49%	—	2.67% ↑
मत्स्य पालन	0.54%	—	0.87% ↑

🎯 उप-क्षेत्रों से जुड़े मुख्य तथ्य

पशुधन क्षेत्र की आय (₹2.17 लाख करोड़) फ़सल क्षेत्र (₹1.88 लाख करोड़) से अधिक है — पशुधन की आय में दूध का सबसे बड़ा योगदान है, और पोल्ट्री-अंडा उत्पादन का हिस्सा बढ़ाने की काफ़ी संभावनाएँ हैं।

2025-26 में फ़सल क्षेत्र में **5.01% की गिरावट** आई (खरीफ़ अनाज उत्पादन घटने से), जबकि पशुधन 5.20% बढ़ा — इसी कारण पूरे कृषि क्षेत्र की वास्तविक वृद्धि केवल 0.22% रही।

- ▶ 🥛 पशुधन उत्पादों का GVO में हिस्सा (2025-26, चालू मूल्य) : दूध **79.60%**, मांस-पोल्ट्री **7.46%**, अंडे **0.67%**, अन्य **12.27%**।

🌾 फ़सल क्षेत्र की आय में मुख्य फ़सलें

- ▶ 🌾 खरीफ़ में मुख्य योगदान — बाजरा, मूँगफली, मूँग; ❄️ रबी में — गेहूँ, राई एवं सरसों, चना।

फ़सल (सकल मूल्य उत्पाद, चालू मूल्य)	2024-25 (₹ करोड़)	2025-26 (₹ करोड़)	रुझान
बाजरा	12,991	9,781	↓ घटा
मूँगफली	10,961	15,978	↑ बढ़ा
मूँग	9,191	9,507	↑ बढ़ा
गेहूँ	40,970	38,394	↓ घटा
राई एवं सरसों	31,760	34,826	↑ बढ़ा
चना	11,193	13,913	↑ बढ़ा

- ▶ फ़सल आय में **सबसे बड़ा योगदान गेहूँ** का है, उसके बाद राई-सरसों का (आकृति 1.4-1.5)।

🌍 3. भूमि उपयोग एवं फ़सल प्रतिरूप

शुष्क जलवायु, सीमित कृषि-योग्य भूमि व पानी की कमी के कारण राजस्थान में **भूमि का कुशल उपयोग** समृद्ध खेती की पहली शर्त है (देखें §1 के समाधान — ड्रिप सिंचाई, सूखा-रोधी फ़सलें, फ़सल चक्र, शून्य जुताई, वर्षा जल संचयन)। **कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल (2024-25) — 343.43 लाख हेक्टेयर**, जिसमें **शुद्ध बोया गया क्षेत्र 53.02%** (आधे से अधिक)।

क्र.	भूमि का प्रकार (भू-उपयोग सांख्यिकी 2024-25, अनंतिम)	प्रतिशत
1	🌱 शुद्ध बोया गया क्षेत्र	53.02
2	कृषि-योग्य बंजर भूमि (Culturable Waste)	10.11
3	🌳 वन (वानिकी)	8.30
4	ऊसर तथा कृषि-अयोग्य भूमि (Barren & Unculturable)	6.85

क्र.	भूमि का प्रकार (भू-उपयोग सांख्यिकी 2024-25, अनंतिम)	प्रतिशत
5	कृषि के अलावा अन्य उपयोग वाली भूमि	5.96
6	अन्य पड़त भूमि (Other Fallow)	5.62
7	चालू पड़त (Current Fallow)	5.22
8	स्थायी चारागाह एवं अन्य गोचर भूमि	4.81
9	विविध वृक्ष फसलें एवं बाग़	0.11

चालू पड़त बनाम अन्य पड़त भूमि

परिभाषा : चालू पड़त = वह भूमि जो केवल चालू वर्ष (एक वर्ष या कम) खाली छोड़ी गई; अन्य पड़त = वह भूमि जो 1 से 5 वर्ष तक खेती के बिना छोड़ी गई हो।

आसान भाषा में : खेत को आराम देना — थोड़े समय के लिए (चालू पड़त) या कुछ सालों के लिए (अन्य पड़त)।

उदाहरण : जैसे कोई किसान इस साल पानी न होने से खेत खाली छोड़ दे, तो वह "चालू पड़त" है; यदि 3 साल से उस खेत में कुछ न बोया गया हो, तो वह "अन्य पड़त" है।

फसलों के प्रकार

आधार	प्रकार	उदाहरण
ऋतु-चक्र आधारित	खरीफ़ (वर्षा ऋतु)	बाजरा, मक्का, मूँगफली, कपास, ग्वार, मूँग, मोठ
	रबी (शीत ऋतु)	गेहूँ, सरसों, जौ, चना
	ज़ायद (ग्रीष्म ऋतु)	तरबूज, खरबूज़ा, ककड़ी, सब्जियाँ
उपयोग आधारित	खाद्यान्न	अनाज (गेहूँ, बाजरा, चावल, मक्का) + दलहन (मूँग, चना, मोठ)
	व्यापारिक/नक़दी व मसाले	तिलहन, गन्ना, कपास, ग्वार, जीरा, धनिया, मेथी

New India Education by Omkar Sir

4. प्रचालित भूमि जोत (कृषि गणना 2015-16)

प्रचालित भूमि जोत (Operational Land Holding)

परिभाषा : वह पूरी भूमि जिस पर एक व्यक्ति/परिवार (अकेले या दूसरों के साथ) एक तकनीकी इकाई के रूप में खेती करता है — चाहे भूमि उसकी अपनी हो, पट्टे पर ली हो या किसी और रूप में।

आसान भाषा में : ज़मीन का मालिक कौन है, यह नहीं — बल्कि **खेती कौन चला रहा है**, यह गिना जाता है।

उदाहरण : रमेश की अपनी 1 हेक्टेयर ज़मीन है और उसने 1 हेक्टेयर पट्टे पर भी ली है — तो उसकी प्रचालित जोत 2 हेक्टेयर मानी जाएगी।

- कुल जोतें — 76.55 लाख** (2010-11 : 68.88 लाख, +11.14%); **कुल जोत क्षेत्र — 208.73 लाख हे.** (211.36 लाख हे., -1.24%); **औसत जोत आकार — 2.73 हेक्टेयर** (3.07 हे., -11.07%)।

जोतों का आकार-वार वितरण

श्रेणी (आकार)	कुल जोतों में हिस्सा (2015-16)	संख्या में परिवर्तन (2010-11 से)	क्षेत्र में परिवर्तन
सीमांत (1 हे. से कम)	40.12%	+22.30%	+19.79%
लघु (1-2 हे.)	21.90%	+10.99%	+10.50%
अर्द्ध-मध्यम (2-4 हे.)	18.50%	+6.07%	+5.67%
मध्यम (4-10 हे.)	14.79%	+0.44%	-0.27%
बड़ी (10 हे. से अधिक)	4.69%	-11.14%	-13.20%

भूमि जोत — विश्लेषण

सीमांत, लघु, अर्द्ध-मध्यम व मध्यम जोतों की **संख्या बढ़ी**, जबकि बड़ी जोतों की संख्या **11.14% घटी** — यह **भूमि विखंडन** (संभावित कारण : संयुक्त परिवारों का बँटवारा) का संकेत है।

बजट 2026-27 : घटते जोत आकार को देखते हुए **5,000 किसानों** को ऊर्ध्वाधर सहारा प्रणाली (Vertical Support System) से सब्जी उत्पादन हेतु सहायता।

तालिका 1.1 : लिंग-वार जोतों की संख्या व क्षेत्र (हज़ार में)

श्रेणी	वर्ग	जोत संख्या 2010-11	2015-16	% परिवर्तन	क्षेत्र 2010-11 (हज़ार हे.)	2015-16	% परिवर्तन
सीमांत	पुरुष	2268	2683	18.30	1120	1304	16.43
	महिला	239	384	60.67	116	177	52.59
	कुल	2511	3071	22.30	1238	1483	19.79
लघु	पुरुष	1389	1514	9.00	1988	2158	8.55
	महिला	120	161	34.17	171	227	32.75
	कुल	1511	1677	10.99	2162	2389	10.50
अर्द्ध-मध्यम	पुरुष	1240	1297	4.60	3509	3655	4.16
	महिला	92	116	26.09	258	325	25.97
	कुल	1335	1416	6.07	3774	3988	5.67
मध्यम	पुरुष	1051	1038	-1.24	6459	6334	-1.94
	महिला	74	91	22.97	445	549	23.37
	कुल	1127	1132	0.44	6918	6899	-0.27
बड़ी	पुरुष	381	334	-12.34	6621	5657	-14.56
	महिला	21	23	9.52	340	377	10.88
	कुल	404	359	-11.14	7044	6114	-13.20
सभी श्रेणियाँ	पुरुष	6329	6866	8.48	19697	19108	-2.99

श्रेणी	वर्ग	जोत संख्या 2010-11	2015-16	% परिवर्तन	क्षेत्र 2010-11 (हज़ार हे.)	2015-16	% परिवर्तन
	महिला	546	775	41.94	1330	1655	24.44
	संस्थागत	13	14	7.69	109	110	0.92
	कुल	6888	7655	11.14	21136	20873	-1.24

► नोट : संस्थागत जोतों केवल "सभी श्रेणियाँ" पंक्ति में अलग दिखाई गई हैं; श्रेणी-वार "कुल" में ये शामिल हैं।

महिला प्रचालित जोतें

►  महिला जोतों की संख्या — 7.75 लाख (2010-11 : 5.46 लाख, +41.94%);  महिला जोतों का क्षेत्र — 16.55 लाख हे. (13.30 लाख हे., +24.44%)।

महिला जोतों का कुल क्षेत्र — श्रेणीवार हिस्सा (2015-16)	प्रतिशत
सीमांत	49.55%
लघु	20.77%
अर्द्ध-मध्यम	14.97%
मध्यम	11.74%
बड़ी	2.97%

5. कृषि-जलवायु क्षेत्र (Agro-Climatic Zones)

विविध भौगोलिक व जलवायु परिस्थितियों के कारण राजस्थान को **जलवायु, मिट्टी, स्थलाकृति व फ़सल प्रतिरूप** के आधार पर **10 कृषि-जलवायु क्षेत्रों** में बाँटा गया है। **उत्तर-पश्चिमी भाग (लगभग 61%)** मरुस्थलीय/अर्द्ध-मरुस्थलीय व वर्षा-निर्भर है, जबकि **दक्षिण-पूर्वी भाग (लगभग 39%)** उपजाऊ है — यह विविधता मिश्रित खेती व आय-स्रोतों में विविधता की संभावना देती है।

New India Education by Omkar Sir

#	क्षेत्र (कूट)	सम्मिलित ज़िले	खरीफ़ फ़सलें	रबी फ़सलें
1	शुष्क पश्चिमी मैदान (I-A)	जोधपुर, फ़लीदी, बाड़मेर, बालोतरा	बाजरा, मोठ, तिल	गेहूँ, सरसों, जीरा
2	सिंचित उत्तर-पश्चिमी मैदान (I-B)	श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़	कपास, ग्वार	गेहूँ, सरसों, चना
3	अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदान (I-C)	बीकानेर, जैसलमेर, चूरू का भाग (रतनगढ़, सरदारशहर, बीदासर, सुजानगढ़ तहसील)	बाजरा, मोठ, ग्वार	गेहूँ, सरसों, चना
4	आंतरिक जल-निकासी का संक्रमणकालीन मैदान (II-A)	सीकर, चूरू (उपरोक्त 4 तहसील छोड़कर), झुंझुनूँ, नागौर, डीडवाना-कुचामन	बाजरा, ग्वार, दलहन	सरसों, चना
5	लूनी बेसिन का संक्रमणकालीन मैदान (II-B)	जालोर, पाली, सिरोही (पिंडवाड़ा, आबूरोड तहसील छोड़कर), ब्यावर का भाग (जैतारण, ब्यावर तहसील)	बाजरा, ग्वार, तिल	गेहूँ, सरसों
6	अर्द्ध-शुष्क पूर्वी मैदान (III-A)	जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, खैरथल-तिजारा, कोटपुतली-बहरोड़, ब्यावर (जैतारण, ब्यावर तहसील छोड़कर)	बाजरा, ग्वार, ज्वार	गेहूँ, सरसों, चना
7	बाढ़-संभावित पूर्वी मैदान (III-B)	अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर	बाजरा, ग्वार, मूँगफली	गेहूँ, जौ, सरसों, चना
8	उप-आर्द्र दक्षिणी मैदान (IV-A)	उदयपुर, चित्तौड़गढ़ (बड़ी सादड़ी छोड़कर), राजसमंद, भीलवाड़ा, सिरोही का भाग (पिंडवाड़ा, आबूरोड)	मक्का, दलहन, ज्वार	गेहूँ, चना

#	क्षेत्र (कूट)	सम्मिलित ज़िले	खरीफ़ फ़सलें	रबी फ़सलें
9	आर्द्र दक्षिणी मैदान (IV-B)	बाँसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूंबर, चित्तौड़गढ़ का भाग (बड़ी सादड़ी)	मक्का, धान, ज्वार, उड़द	गेहूँ, चना
10	आर्द्र दक्षिण-पूर्वी मैदान (V)	कोटा, बाराँ, बूँदी, झालावाड़	ज्वार, सोयाबीन	गेहूँ, सरसों

कृषि-जलवायु क्षेत्र — याद रखने योग्य

क्षेत्र I (A, B, C) = पश्चिम का मरुस्थल; II (A, B) = संक्रमणकालीन मैदान; III (A, B) = पूर्वी मैदान; IV (A, B) = दक्षिणी मैदान; V = दक्षिण-पूर्व (हाड़ौती)।

जीरा केवल I-A में; **कपास** I-B (गंगानगर-हनुमानगढ़) में; **धान व उड़द** IV-B (बाँसवाड़ा-डूंगरपुर) में; **सोयाबीन** V (हाड़ौती) में; **जौ व मूँगफली** III-B में।

चूरू, ब्यावर, सिरोही और चित्तौड़गढ़ — ये चार ज़िले **दो-दो क्षेत्रों** में बँटे हुए हैं।

6. प्रमुख फ़सलों का उत्पादन एवं उत्पादकता

राजस्थान में कृषि उत्पादन मुख्यतः **मानसून के समय पर आने** पर निर्भर है। खरीफ़ में उत्पादन केवल वर्षा की **मात्रा** पर ही नहीं, बल्कि उसके **समान वितरण व तीव्रता** पर भी निर्भर करता है।

 **तालिका 1.3 : खरीफ़ एवं रबी फ़सलों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन**

फ़सल समूह	क्षेत्र 2023-24 (लाख हे.)	2024-25 (अंतिम)	2025-26 (अग्रिम)	उत्पादन 2023-24 (लाख टन)	2024-25 (अंतिम)	2025-26 (अग्रिम)
(क) अनाज	93.39	105.55	96.73	207.64	267.82	236.85
खरीफ़	59.47	63.86	56.44	77.07	94.19	69.03
रबी	33.92	41.69	40.29	130.57	173.63	167.82
(ख) दलहन	54.63	54.06	60.51	33.29	41.80	47.13
खरीफ़	36.47	37.09	39.62	13.40	20.05	20.52
रबी	18.16	16.97	20.89	19.89	21.75	26.61
(क+ख) खाद्यान्न	148.02	159.61	157.24	240.93	309.62	283.98
खरीफ़	95.94	100.95	96.06	90.47	114.24	89.55
रबी	52.08	58.66	61.18	150.46	195.38	194.43
(ग) तिलहन	66.46	60.98	62.83	101.27	93.73	100.46
खरीफ़	24.52	25.73	26.84	37.29	38.23	41.23
रबी	41.94	35.25	35.99	63.98	55.50	59.23
(घ) गन्ना	0.04	0.06	0.05	3.64	4.65	3.61
(ङ) कपास (रुई)*	10.04	6.27	6.44	26.21	17.88	17.94

► * कपास का उत्पादन **लाख गाँठों** में (1 गाँठ = 170 किलोग्राम)।

2025-26 में उत्पादन का विश्लेषण (2024-25 की तुलना में)

फ़सल	2024-25	2025-26 (अग्रिम)	परिवर्तन
 कुल खाद्यान्न	309.62	283.98	-8.28%
खरीफ़ खाद्यान्न	114.24	89.55	-21.61%
रबी खाद्यान्न	195.38	194.43	-0.49%
खरीफ़ अनाज	94.19	69.03	-26.71%
रबी अनाज	173.63	167.82	-3.35%
खरीफ़ दलहन	20.05	20.52	+2.34%
रबी दलहन	21.75	26.61	+22.34%
 कुल तिलहन	93.73	100.46	+7.18%
खरीफ़ तिलहन	38.23	41.23	+7.85%
रबी तिलहन	55.50	59.23	+6.72%
 गन्ना	4.65	3.61	-22.37%
 कपास (लाख गाँठ)	17.88	17.94	+0.34%

उत्पादन — याद रखने योग्य

तिलहन — खरीफ़ में मूँगफली, तिल, सोयाबीन, अरंडी; रबी में राई-सरसों, तारामीरा, अलसी।

राजस्थान में पहली बार अलग "कृषि बजट" वर्ष 2022-23 में प्रस्तुत — विचार : "समृद्ध किसान — खुशहाल राजस्थान"।

तालिका 1.4 : फ़सलों की उत्पादकता (किलोग्राम प्रति हेक्टेयर)

फ़सल	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	रुझान
अनाज	2423	2093	2220	2233	2537	↑
दलहन	671	628	657	609	773	↑
खाद्यान्न	1757	1486	1653	1628	1940	↑
तिलहन	1523	1484	1449	1524	1537	लगभग स्थिर
गन्ना	79111	75852	89307	87155	76835	↓
कपास (रुई)	675	558	579	444	484	उतार-चढ़ाव
ग्वार बीज	458	419	540	513	662	↑

तालिका 1.5 : प्रमुख फ़सलों में राजस्थान का स्थान (2023-24)

#	फ़सल	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	देश में राजस्थान का हिस्सा
1	राई एवं सरसों	राजस्थान	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश	43.43%
2	बाजरा	राजस्थान	उत्तर प्रदेश	गुजरात	41.34%
3	कुल तिलहन	राजस्थान	मध्य प्रदेश	गुजरात	23.61%
4	मोटे अनाज	राजस्थान	कर्नाटक	उत्तर प्रदेश	14.21%

#	फ़सल	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	देश में राजस्थान का हिस्सा
5	ग्वार	राजस्थान	हरियाणा	गुजरात	88.80%
6	मूँगफली	गुजरात	राजस्थान	मध्य प्रदेश	19.91%
7	चना	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	राजस्थान	17.39%
8	कुल दलहन	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	राजस्थान	13.76%
9	सोयाबीन	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	राजस्थान	8.96%

► स्रोत : कृषि सांख्यिकी एक नज़र में 2024 (Agriculture Statistics at a Glance), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

🧠 रैंकिंग ऐसे याद करें

प्रथम (5 फ़सलें) : बाजरा, राई-सरसों, कुल तिलहन, मोटे अनाज, ग्वार — सबसे बड़ा हिस्सा **ग्वार (88.80%)** में।

द्वितीय (1) : मूँगफली (गुजरात पहले)। **तृतीय (3)** : चना, कुल दलहन, सोयाबीन — तीनों में क्रम **मध्य प्रदेश → महाराष्ट्र → राजस्थान**।

🍎 बागवानी : फल, सब्ज़ी एवं मसाले (तालिका 1.6)

वर्ष	फल — क्षेत्र (हे.)	उत्पादन (मी. टन)	उत्पादकता (किग्रा/हे.)	सब्ज़ी — क्षेत्र (हे.)	उत्पादन (मी. टन)	उत्पादकता
2020-21	68,883	9,06,739	13,163	1,89,387	21,85,865	11,542
2021-22	78,137	9,56,442	12,240	2,04,005	23,74,806	11,640
2022-23	82,331	9,06,134	11,006	1,92,712	23,34,884	12,116
2023-24	88,672	11,97,555	13,506	1,93,510	27,11,816	14,014
2024-25	92,993	13,84,606	14,889	2,04,755	28,60,484	13,970

New India Education by Omkar Sir

वर्ष	मसाले — क्षेत्र (हे.)	उत्पादन (मी. टन)	उत्पादकता (किग्रा/हे.)
2020-21	9,62,367	11,80,477	1,227
2021-22	8,11,797	10,44,880	1,287
2022-23	9,22,616	9,33,317	1,012
2023-24	6,84,449	3,79,720	555
2024-25	13,64,822	14,69,559	1,077

🏆 बागवानी 2024-25 की झलक

फल उत्पादन अब तक का सबसे अधिक — **13.84 लाख मी. टन**; सब्ज़ी उत्पादन **28.60 लाख मी. टन**; मसालों में क्षेत्र लगभग दोगुना और उत्पादन **3.80 से 14.70 लाख मी. टन** (2023-24 मसालों के लिए खराब वर्ष था)।

बजट 2026-27 : 4,000 किसानों को उन्नत ग्रीनहाउस (पॉलीहाउस/शेड-नेट) हेतु ₹200 करोड़ अनुदान; **500 सौर फ़सल ड्रायर**; जीरा-धनिया-सौंफ-मेथी जैसे बीजीय मसालों का ~4,000 हेक्टेयर में विस्तार।

7. किसानों के लिए एकीकृत सहायता — बीज, उर्वरक, मृदा स्वास्थ्य

उत्पादन-उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार किसानों को **एकीकृत सहायता प्रणाली** देती है — अच्छे **बीज**, संतुलित **उर्वरक** व **मृदा स्वास्थ्य**, सस्ता **कृषि ऋण**, और **फ़सल बीमा**।

(क) बीज

- राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (RSSC) — बीजों के उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण एवं आपूर्ति की **नोडल एजेंसी**;
- राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था (RSSOCA) — बीजों व जैविक उत्पादों का प्रमाणीकरण।

मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना

बिंदु	विवरण
उद्देश्य	किसान अपने ही खेत में अपने उपयोग के लिए अच्छी गुणवत्ता का बीज स्वयं तैयार करें
शुरुआत	2017 में 3 कृषि-जलवायु क्षेत्रों (कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर) से; 2018-19 से पूरे राज्य (सभी 10 क्षेत्रों) में लागू
फ़सलें	गेहूँ, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूँग, मोठ, सरसों व उड़द की 10 वर्ष तक पुरानी किस्मों का बीज उत्पादन
2025-26	खरीफ़ व रबी में 1.12 लाख क्विंटल बीज वितरित (लक्ष्य 1.13 लाख क्विंटल)
निःशुल्क बीज मिनीकिट	नई किस्मों को लोकप्रिय बनाने हेतु — 2025-26 में 31.50 लाख मिनीकिट वितरित

बजट 2026-27 — बीज से जुड़ी घोषणाएँ

90% अनुदान पर लगभग **70,000 क्विंटल** गुणवत्तापूर्ण बीज।

मिनीकिट : मूँग के **5 लाख**, मोठ के **1 लाख**, ज्वार/बाजरा/बरसीम के **1 लाख** मिनीकिट; **50,000 ढैंचा** किट और **5,000 किसानों** को नेपियर घास।

बजट चर्चा (27 फ़रवरी 2026) : **8.50 लाख जनजाति किसानों** को ₹85 करोड़ की लागत से निःशुल्क संकर मक्का बीज मिनीकिट; पश्चिमी राजस्थान में औषधीय पौधों (ईसबगोल, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, एलोवेरा) की खेती हेतु 1,000 किसानों को उन्नत बीज।

(ख) उर्वरक एवं मृदा स्वास्थ्य

मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card)

परिभाषा : किसान के खेत की मिट्टी की जाँच के बाद जारी किया गया कार्ड, जिसमें मिट्टी के पोषक तत्वों (नाइट्रोजन, फ़ॉस्फ़ोरस, पोटैश, सूक्ष्म तत्व) की स्थिति और फ़सल-वार उर्वरक की सही मात्रा की सलाह होती है।

आसान भाषा में : मिट्टी की "मेडिकल रिपोर्ट" — जो बताती है कि खेत को कौन-सी "दवा" (खाद) कितनी चाहिए।

उदाहरण : जैसे डॉक्टर खून की जाँच देखकर ही दवा लिखता है, वैसे ही कार्ड देखकर किसान उतना ही यूरिया-DAP डालता है जितना ज़रूरी है — पैसा भी बचता है और मिट्टी भी बची रहती है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड — तथ्य	विवरण
शुरुआत	19 फ़रवरी 2015 — सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर) से; इसी कारण 19 फ़रवरी = मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस
वर्तमान स्थिति	2022-23 में इसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) में मिला दिया गया
2025-26 (दिसंबर तक)	4.79 लाख मिट्टी के नमूने लिए गए, 4.15 लाख कार्ड जारी

मृदा स्वास्थ्य कार्ड — तथ्य	विवरण
मुख्य कार्य	मृदा परीक्षण सेवाओं का विस्तार, कार्ड जारी करना, फ़सल-वार विवेकपूर्ण पोषक तत्व प्रबंधन — राज्य के सभी 352 ब्लॉकों में

►  **उर्वरक आपूर्ति 2025-26 (दिसंबर तक) :** यूरिया 22.20, DAP 7.77, SSP 4.32, NPK 2.53 लाख मी.टन।

उर्वरक-संबद्ध अन्य कार्यक्रम एवं डिजिटल सेवाएँ

योजना/कार्यक्रम	विवरण
 गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना	रासायनिक उर्वरक घटाना, जैव/जैविक/नैनो उर्वरक बढ़ावा; हर ब्लॉक में 50 किसानों को पशु अपशिष्ट से वर्मी-कम्पोस्ट बनाने हेतु प्रति किसान ₹10,000 तक ; दिसंबर 2025 तक राज किसान पोर्टल पर 1.02 लाख आवेदन → 54,940 प्रशासनिक + 10,814 वित्तीय स्वीकृतियाँ
 कृषि क्लिनिक	हर ज़िला मुख्यालय पर मृदा परीक्षण, फ़सल जानकारी व कीट/रोग उपचार की एक ही जगह सेवाएँ; 2024-25 में 20 स्थापित, 2025-26 में 13 और निर्माणाधीन
 नमो ड्रोन दीदी योजना	महिला स्वयं सहायता समूहों को 1,070 कृषि ड्रोन व परिवहन वाहन खरीद के ऋण पर केंद्र से 3% अतिरिक्त ब्याज अनुदान ; नैनो यूरिया व कीटनाशकों का सटीक छिड़काव — पारंपरिक खेती व आधुनिक तकनीक का मेल
 पशु सखी एवं कृषि सखी	राजीविका की गतिविधियाँ मुख्यतः महिलाएँ चलाती हैं — 37,369 सदस्य पशु सखी व 36,787 सदस्य कृषि सखी के रूप में कार्यरत (विस्तार अध्याय 10)

8. कृषि ऋण, सहकारिता एवं फ़सल बीमा

कृषि ऋण वह वित्तीय सेवा है, जिससे किसान बीज, खाद, उपकरण खरीद पाते हैं — सस्ता व आसान ऋण कृषि वृद्धि, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण गरीबी घटाने के लिए ज़रूरी है। राजस्थान में ऋण का बड़ा हिस्सा **सहकारी संस्थाओं** से आता है।

सहकारी ढाँचा — संख्या एवं ऐतिहासिक तथ्य

संस्था / तथ्य	विवरण
कुल पंजीकृत सहकारी समितियाँ	42,858
प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ (PACS / ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ)	9,086
सामान्य विपणन एवं फल-सब्जी सहकारी विपणन समितियाँ (क्रय-विक्रय समितियाँ)	285
उपभोक्ता थोक भंडार	38
दुग्ध संघ	24
संघ (Federations)	23
केंद्रीय सहकारी बैंक — अल्पकालीन कृषि ऋण	29
प्राथमिक भूमि विकास बैंक — दीर्घकालीन कृषि ऋण	36
राजस्थान में सहकारिता की शुरुआत	1904 — अजमेर ज़िले के भिनाय से
राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (अल्पकालीन सहकारी साख का शीर्ष बैंक)	स्थापना 14 अक्टूबर 1953 , मुख्यालय जयपुर
राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक (दीर्घकालीन ऋण, भूमि गिरवी पर)	स्थापना 1957
सहकार सदस्यता अभियान	2 से 22 अक्टूबर 2025 — PACS स्तर पर शिविर; लगभग 8.90 लाख नए सदस्य जुड़े

सहकारी ऋण वितरण — 2025-26 (दिसंबर तक)

ऋण का प्रकार	वितरण	लक्ष्य
दीर्घकालीन ऋण (प्राथमिक भूमि विकास बैंक)	₹95.13 करोड़	₹209.00 करोड़
मध्यमकालीन ऋण (कृषि + गैर-कृषि)	₹783.79 करोड़	—
अल्पकालीन फ़सली ऋण	₹18,085.89 करोड़	कुल लक्ष्य ₹25,000 करोड़

- ▶ 2025-26 में **1,432 नई PACS**, **288 वृहद आदिवासी बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियाँ (LAMPS)** और **32 महिला बहुउद्देश्यीय समितियों** के गठन की अनुमति। **महिला सहकारिता** : SHG नेत्रियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु ₹15 लाख; **1,035 राजीविका महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समितियाँ** — 8.70 लाख से अधिक महिलाएँ लाभान्वित।

प्रमुख कृषि ऋण योजनाएँ

योजना	मुख्य प्रावधान	प्रगति 2025-26 (दिसंबर तक)
शून्य ब्याज दर पर अल्पकालीन फ़सली ऋण	सहकारी समितियों से बिना ब्याज फ़सली ऋण; समय पर चुकाने वाले किसानों को राज्य सरकार ब्याज अनुदान देती है	30.45 लाख किसानों को ₹18,085.89 करोड़
सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)	अल्पकालीन फ़सली ऋण KCC के माध्यम से	सितंबर 2025 तक 61.83 लाख KCC जारी, 43.95 लाख सक्रिय
राजस्थान ग्रामीण आजीविका ऋण योजना (अक्टूबर 2022)	ग्रामीण कारीगर, गैर-कृषि कार्य से आजीविका चलाने वाले परिवार तथा लघु-सीमांत किसान परिवार के सदस्य — ₹2 लाख तक ऋण	13,801 लाभार्थियों को ₹122.04 करोड़
सहकार किसान कल्याण योजना	फ़सली ऋण के अलावा कृषि व संबद्ध कार्यों हेतु ₹10 लाख तक ऋण	₹121.11 करोड़ वितरित
कृषि उपज रहन (गिरवी) ऋण योजना	उपज गिरवी रखकर केवल 3% ब्याज पर ऋण	27 किसानों को ₹70.50 लाख
स्वयं सहायता समूहों को ऋण	केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा	393 समूहों को ₹5.06 करोड़
स्वरोज़गार क्रेडिट कार्ड योजना (नाबार्ड प्रायोजित)	गैर-कृषि कार्यों हेतु ₹50,000 तक , अवधि 5 वर्ष	76 मामलों में ₹33 लाख
राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना	डेयरी से जुड़े 2.5 लाख परिवारों को ₹1 लाख तक ब्याज-मुक्त अल्पकालीन ऋण; बजट ₹150 करोड़	92,074 ऑनलाइन आवेदनों में से 89,997 स्वीकृत

कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund — AIF)

बिंदु	विवरण
घोषणा	15 मई 2020 — केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा; कोष का आकार ₹1 लाख करोड़
उद्देश्य	किसानों के लिए "फ़ार्म गेट" (खेत के पास) अवसंरचना — गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, छँटाई-ग्रेडिंग इकाइयाँ आदि
ब्याज अनुदान	₹2 करोड़ तक के सभी ऋणों पर 3% प्रति वर्ष
PACS से जुड़ाव	AIF को PACS की बहु-सेवा केंद्र (Multi Service Centre) योजना से जोड़ा गया
प्रगति (31 दिसंबर 2025)	4,900 परियोजनाएँ, ₹4,212.54 करोड़ स्वीकृत; 4,427 परियोजनाओं के लिए ₹2,793.08 करोड़ वितरित

फ़सल बीमा — प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना (PMFBY)

अप्रत्याशित घटनाओं (सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट) से फ़सल नुकसान पर सुरक्षा देने के लिए यह योजना **खरीफ़ 2016** से लागू है (शुभारंभ 18 फ़रवरी 2016); इसमें खाद्यान्न, तिलहन व वाणिज्यिक/बागवानी फ़सलें शामिल हैं। **किसान का प्रीमियम** :  **खरीफ़ 2%**,  **रबी 1.5%**,  **वाणिज्यिक/बागवानी 5%**।

- ▶ बाकरी प्रीमियम केंद्र-राज्य मिलकर देते हैं; खरीफ़ 2020 से योजना **स्वैच्छिक** है और केंद्र का प्रीमियम अनुदान **असिंचित क्षेत्रों में 30% व सिंचित क्षेत्रों में 25%** की अधिकतम दर तक सीमित है। प्रीमियम अनुदान व फ़सल कटाई प्रयोग करने वाले कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन हेतु **राज्य-पोषित योजना** भी चल रही है।
- ▶ **दावों का भुगतान** : वर्तमान सरकार के कार्यकाल में **15 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2025** तक लगभग **₹6,206.61 करोड़** के बीमा दावे पात्र किसानों को दिए गए। **"मेरी पॉलिसी मेरे हाथ"** अभियान : ग्राम पंचायत स्तर पर किसानों को पॉलिसी सीधे सौंपने का अभियान।

सतत कृषि एवं बागवानी की योजनाएँ

बागवानी ग्रामीण लोगों को अतिरिक्त रोज़गार देती है व अर्थव्यवस्था को **कृषि-प्रसंस्करण** की ओर ले जाती है। 2025-26 में बागवानी हेतु राज्य योजना (केंद्रीय हिस्से सहित) में **₹1,918.67 करोड़** बजट, जिसमें से दिसंबर तक **₹523.13 करोड़** उपयोग।

योजना	मुख्य बिंदु	प्रगति / प्रावधान
 राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM)	फल, मसाले, फूल आदि का क्षेत्र, उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाना; चयनित 41 ज़िलों में; 2025-26 बजट ₹124.76 करोड़ (केंद्र ₹74.86 + राज्य ₹49.90)	दिसंबर 2025 तक ₹48.83 करोड़ व्यय; 2,358 हे. में फलोद्यान; 3.13 लाख वर्ग मी. ग्रीनहाउस; 0.51 लाख वर्ग मी. शेड-नेट; 638 हे. प्लास्टिक मल्टिप्लिंग; 9 वर्मी-कम्पोस्ट इकाइयाँ; 1,129 कम लागत प्याज़ भंडारण संरचनाएँ; 19 जल संग्रहण संरचनाएँ
 राष्ट्रीय बाँस मिशन	केंद्र प्रायोजित (अभी शुरू होना बाक़ी); सार्वजनिक-निजी क्षेत्र में हाई-टेक व छोटी नर्सरियाँ, कौशल प्रशिक्षण व सेमिनार	भारत सरकार द्वारा ₹93.28 लाख की वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत; 2025-26 में ₹100 लाख का प्रावधान
 कृषि-वानिकी योजना	सार्वजनिक-निजी क्षेत्र में नई नर्सरियाँ (हाई-टेक, बड़ी, छोटी) और मौजूदा नर्सरियों में पौध तैयार करना	2025-26 में 3 स्थानों पर 4 हाई-टेक नर्सरियाँ ; ₹285 लाख का प्रावधान
 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)	शुरुआत 2007-08 , केंद्र : राज्य = 60 : 40; खजूर की खेती, NHM रहित ज़िलों में बागवानी, शहरी क्षेत्रों में सब्जी क्लस्टर	उत्कृष्टता केंद्र — झालावाड़, धौलपुर, टोंक, बुंदी, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, बस्सी (जयपुर), नांता (कोटा) — संरक्षित खेती व नर्सरी हेतु; ₹40.14 करोड़ आवंटन में से ₹20.56 करोड़ व्यय

बजट 2026-27 — बागवानी व कृषि-वानिकी

नए **उत्कृष्टता केंद्र** : अलवर (प्याज़ एवं सब्जियाँ), श्रीगंगानगर (किन्नु), बाँसवाड़ा (आम); प्राकृतिक खेती का उत्कृष्टता केंद्र — श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर)।

कृषि-वानिकी की **हाई-टेक नर्सरियाँ** — जोधपुर, पाली और कोटा (जैसे नागौरी अश्वगंधा, सोजत मेहंदी की पौध); **जैविक खाद्य बाज़ार** — जोधपुर, कोटा, उदयपुर।

9. कृषि सुधार की प्रमुख पहलें (मिशन एवं योजनाएँ)

(i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (NFSNM)

चारों घटकों की मुख्य गतिविधियाँ लगभग समान हैं — **उन्नत तकनीक पर फ़सल प्रदर्शन, प्रमाणित बीज वितरण, सूक्ष्म पोषक तत्व/जैव-उर्वरक, जिप्सम, पौध संरक्षण रसायन व जैव-कीटनाशक, फ़सल प्रणाली आधारित प्रशिक्षण** तथा तारबंदी को बढ़ावा।

घटक	शुरुआत	ज़िले (2025-26)
 गेहूँ एवं दलहन	रबी 2007-08 (केंद्र प्रायोजित)	गेहूँ — 18 ज़िले : अजमेर, ब्यावर, दौसा, जयपुर, झुंझुनू, नागौर, सीकर, डीग, करौली, सवाई माधोपुर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, बाँसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा दलहन — सभी 41 ज़िले

घटक	शुरुआत	ज़िले (2025-26)
 मोटे अनाज (मक्का, जौ)	2018-19	मक्का — 9 ज़िले : बारों, झालावाड़, बाँसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूबर, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद जौ — 9 ज़िले : अजमेर, ब्यावर, जयपुर, डीडवाना-कुचामन, सीकर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा
 पोषक अनाज / श्री अन्न (बाजरा, ज्वार)	2018-19	ज्वार — 11 ज़िले : अजमेर, ब्यावर, जयपुर, टोंक, नागौर, अलवर, भरतपुर, जोधपुर, पाली, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ बाजरा — 28 ज़िले
 वाणिज्यिक फ़सलें (कपास)	—	कपास — 18 ज़िले : अजमेर, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, झुंझुनू, नागौर, अलवर, भरतपुर, डीग, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, फ़लीदी, पाली, बाँसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़; प्रथम पंक्ति प्रदर्शन, फ़ेरोमोन ट्रैप, कीट प्रबंधन प्रशिक्षण

- **बाजरा के 28 ज़िले** : अजमेर, ब्यावर, दौसा, जयपुर, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, टोंक, डीडवाना-कुचामन, झुंझुनू, नागौर, सीकर, अलवर, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, हनुमानगढ़, बालोतरा, बाड़मेर, जोधपुर, फ़लीदी, जालोर, पाली, सिरोही। सभी घटकों पर 2025-26 में (दिसंबर तक) **₹136.63 करोड़** व्यय।

दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन (Mission for Aatmanirbharta in Pulses)

- भारत सरकार ने **रबी 2025-26 से NFSNM (दलहन)** को इस नए केंद्र प्रायोजित मिशन (अवधि **2025-26 से 2030-31**) में मिला दिया। **उद्देश्य** : दलहन उत्पादन बढ़ाना (विशेषकर **तुअर, उड़द, मसूर**); जलवायु-अनुकूल बीज; दलहन का क्षेत्र बढ़ाना; कटाई-बाद भंडारण तकनीक; **NCCF और NAFED** द्वारा तुअर-उड़द-मसूर की **100% खरीद**; अन्य दालों की खरीद **पीएम-आशा** की मूल्य समर्थन योजना (PSS) के अनुसार; प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना।

अन्य प्रमुख मिशन

मिशन/कार्यक्रम	मुख्य बिंदु	वित्त पोषण / प्रगति 2025-26
 राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (तिलहन)	ब्रीडर बीज (100% केंद्रीय), मूल्य शृंखला क्लस्टर में प्रमाणित बीज, IPM किसान खेत पाठशाला, तारबंदी; वृक्ष-जनित तिलहन (TBO) — जैतून, महुआ, नीम, जोजोबा, करंज, रतनजोत (जेट्रोफ़ा)	केंद्र:राज्य 60:40; ₹125 करोड़ में से ₹105.73 करोड़ व्यय
 राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) — वर्षा-आधारित क्षेत्र विकास (RAD)	पशुधन/बागवानी/कृषि-वानिकी आधारित एकीकृत कृषि प्रणाली (IFS) ; वर्मी-कम्पोस्ट, मधुमक्खी पालन, मत्स्य, साइलेज इकाई	केंद्र:राज्य 60:40
 अनुकूली परीक्षण केंद्र (ATC) व जैविक खेती सहायता	नई कृषि सिफ़ारिशों की क्षेत्र-विशेष अनुकूलता व आर्थिक व्यवहार्यता की जाँच	जैविक खेती में उत्कृष्ट 3 किसानों को हर वर्ष ₹1-1 लाख प्रोत्साहन पुरस्कार
 परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)	क्लस्टर दृष्टिकोण व सहभागी गारंटी प्रणाली (PGS-India) प्रमाणीकरण से जैविक खेती, रसायन-मुक्त उत्पादन	₹42.07 करोड़ में से दिसंबर तक ₹4.20 करोड़ व्यय
 राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF)	2025-26 से केंद्र प्रायोजित; कुल 2,000 क्लस्टर (केंद्र 1,800+राज्य 200), प्रत्येक ≈50 हे./125 किसान; क्लस्टर में कृषि सखी/CRP, प्रति एकड़ DBT सहायता, जैव-इनपुट संसाधन केंद्र	कवरेज — 2.50 लाख किसान, 1 लाख हेक्टेयर

एकीकृत कृषि प्रणाली (Integrated Farming System)

परिभाषा : एक ही खेत पर फ़सल, पशुपालन, बागवानी, वृक्ष, मत्स्य आदि कई घटकों को इस तरह जोड़ना कि एक का अपशिष्ट दूसरे का संसाधन बने।

आसान भाषा में : खेत को एक "परिवार" की तरह चलाना, जहाँ हर सदस्य एक-दूसरे की मदद करे।

उदाहरण : गाय का गोबर → वर्मी-कम्पोस्ट → खेत की खाद; खेत का चारा → गाय का भोजन; मेड़ पर लगे पेड़ → लकड़ी व छाया। एक फ़सल खराब हो तो भी दूध और पेड़ों से आय चलती रहती है।

प्राकृतिक खेती बनाम जैविक खेती

परिभाषा : प्राकृतिक खेती में बाहर से खरीदा कोई भी उर्वरक (रासायनिक या जैविक) नहीं डाला जाता; खेत पर ही गाय के गोबर-गोमूत्र से बने जीवामृत, बीजामृत आदि का उपयोग होता है। जैविक खेती में रसायन तो नहीं, पर बाहर से जैविक खाद/कम्पोस्ट लाई जा सकती है।

आसान भाषा में : जैविक = "रसायन-मुक्त"; प्राकृतिक = "रसायन-मुक्त + लगभग शून्य बाहरी लागत"।

उदाहरण : जैविक किसान बाज़ार से वर्मी-कम्पोस्ट खरीद सकता है; प्राकृतिक खेती करने वाला अपनी गाय के गोबर से खेत पर ही जीवामृत बनाता है।

(vii) प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY)

बिंदु	विवरण
घोषणा / शुरुआत	केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषणा; मंत्रिमंडल स्वीकृति 16 जुलाई 2025; प्रधानमंत्री द्वारा शुभारंभ 11 अक्टूबर 2025
अवधि	6 वर्ष (2025-26 से)
कवरेज	देश के 100 आकांक्षी कृषि जिले
एकीकरण	11 मंत्रालयों/विभागों की 36 योजनाओं का मेल
जिलों के चयन का आधार	कम उत्पादकता, कम फ़सल सघनता, औसत से कम ऋण वितरण
उद्देश्य	उत्पादकता, फ़सल विविधता, आय और स्थिरता बढ़ाना; भंडारण, सिंचाई और ऋण सुविधा सुधारना
राजस्थान के 8 जिले	बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, जालोर

(viii) राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन (NMAET)

उप-मिशन	उद्देश्य
कृषि विस्तार उप-मिशन (SMAE)	नई तकनीक किसानों तक पहुँचाना
बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (SMSP)	गुणवत्तापूर्ण बीज-रोपण सामग्री उत्पादन
कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (SMAM)	यंत्रों पर अनुदान — SC/ST, महिला, लघु-सीमांत को 50%, अन्य को 40%; कस्टम हायरिंग केंद्र — "राज किसान कस्टम हायरिंग ऐप" से बुकिंग

- **बजट 2026-27 : 500 नए कस्टम हायरिंग केंद्र** (₹96 करोड़); लगभग 50,000 किसानों को कृषि यंत्रों पर ₹160 करोड़ का अनुदान।

तालिका 1.7 : कृषि विभाग के प्रमुख घटकों की भौतिक प्रगति (2025-26)

घटक	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि (दिसंबर 2025 तक)
पाइपलाइन	कि.मी.	20,000	10,073
डिगी	संख्या	10,000	4,979
खेत तलाई (फार्म पॉन्ड)	संख्या	25,000	10,626
कृषि यंत्र	संख्या	1,00,000	28,479
जिप्सम वितरण	मी. टन	30,000	8,090
किसान भ्रमण	संख्या	205	158
फ़सल प्रदर्शन	संख्या	3,36,113	2,78,920
बीज मिनीकिट वितरण	संख्या	31,50,000	31,49,683
एकीकृत कीट प्रबंधन प्रदर्शन	संख्या	300	180
किसान प्रशिक्षण (1-2 दिन)	संख्या	11,320	10,105
पौध संरक्षण रसायन/जैव-कीटनाशक	हेक्टेयर	2,00,000	90,000
मृदा स्वास्थ्य कार्ड	संख्या	4,05,000	4,14,714 (लक्ष्य से अधिक)
काँटेदार तार बाड़बंदी	मीटर	3,00,00,000	94,69,496

(ix) खाद्य सुरक्षा — राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013

बिंदु	विवरण
अधिनियम	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 — अधिसूचना 10 सितंबर 2013; राजस्थान में लागू : 2 अक्टूबर 2013
कवरेज (राष्ट्रीय)	ग्रामीण जनसंख्या का 75% और शहरी का 50% (कुल लगभग दो-तिहाई)
हक़दारी	अंत्योदय अन्न योजना (AAY) परिवार — 35 किग्रा प्रति परिवार प्रति माह; प्राथमिकता वाले परिवार — 5 किग्रा प्रति व्यक्ति प्रति माह
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना	1 जनवरी 2024 से 5 वर्ष तक NFSA लाभार्थियों को निःशुल्क अनाज
महिला सशक्तीकरण	18 वर्ष या अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला राशन कार्ड के लिए परिवार की मुखिया
राजस्थान में (1 दिसंबर 2025)	लाभार्थियों की अधिकतम सीमा 4.46 करोड़; वर्तमान लाभार्थी 4.38 करोड़
2025-26 (दिसंबर तक)	PMGKAY में 18.73 लाख मी. टन गेहूँ का उठाव और 18.76 लाख मी. टन वितरण
"गिव-अप" अभियान	नवंबर 2024 से — सक्षम/अपात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ स्वेच्छा से छोड़ने के लिए प्रेरित करना, ताकि नए पात्र परिवार जुड़ सकें

- सहरिया, खैरवा और कथौड़ी जैसी विशेष रूप से कमज़ोर जनजातियों के परिवारों को अतिरिक्त पोषण सहायता दी जाती है। (खाद्य सुरक्षा का विस्तार अध्याय 4 में)

10. फसलोत्तर प्रबंधन — भंडारण, प्रसंस्करण, विपणन

फ़सल कटने के बाद उसे सुरक्षित रखना, प्रसंस्करण करना और सही बाज़ार तक पहुँचाना — यही फसलोत्तर प्रबंधन है, जो भोजन की बर्बादी घटाकर खाद्य सुरक्षा व किसानों की आय-स्थिरता बढ़ाता है।

24 (i) भंडारण

- ▶ **नोडल एजेंसी : राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम (RSWC)** — कृषि उपज के वैज्ञानिक भंडारण हेतु गोदाम बनाता व चलाता है। दिसंबर 2025 तक **36 ज़िलों में 97 गोदाम**, कुल भंडारण क्षमता **17.25 लाख मी. टन**; 2025-26 में औसत उपयोग **8.25 लाख मी. टन (48%)**।
- ▶ **भंडारण शुल्क में छूट (वर्ग-वार) :** अनुसूचित जाति/जनजाति किसान **70%**, किसान उत्पादक संगठन (FPO) **60%**, सामान्य किसान **30%**, सहकारी समितियाँ **10%** — यह छूट देश के सभी राज्य भंडार निगमों व केंद्रीय भंडार निगम की तुलना में सबसे अधिक है।

तालिका 1.8 : राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम की उपलब्धियाँ

मद	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (दिसं. तक)
औसत भंडारण क्षमता (लाख मी. टन)	14.71	15.98	16.79	18.17	17.25
औसत उपयोग (लाख मी. टन)	10.31	6.10	7.37	8.54	8.25
औसत उपयोग का प्रतिशत	70%	38%	44%	47%	48%
निर्मित भंडारण क्षमता (लाख मी. टन)	2.24	2.40	0.71	0.61	0.03
गोदामों की संख्या	93	93	94	97	97
कुल आय (₹ करोड़)	122.61	130.13	130.37	142.62	181.61 (अनंतिम)

- ▶ 2025-26 में निगम ने 0.03 लाख मी. टन क्षमता बनाई (0.37 लाख मी. टन निर्माणाधीन); सहकारी संस्थाओं की विभिन्न योजनाओं में कुल **8,912 गोदाम** भी बने हैं (कृषि उपज, PDS अनाज व ग्रामीण विकास योजनाओं के भंडारण हेतु)। **बजट घोषणा 2025-26 :** 500 मी. टन के **100** व 250 मी. टन के **50** नए गोदाम, तथा 100 मी. टन के **100** पुराने गोदामों का नवीनीकरण।

25 (ii) प्रसंस्करण

प्रसंस्करण फसलोत्तर नुकसान घटाता है, बाज़ार मूल्य बढ़ाता है और गाँवों में रोज़गार पैदा करता है। **राइज़िंग राजस्थान शिखर सम्मेलन 2024 :** कृषि-प्रसंस्करण क्षेत्र में **2,524 समझौता ज्ञापन (MoU)**, कुल **₹43,794.84 करोड़** का निवेश।

बिंदु	विवरण — प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PM-FME)
संचालन	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार; राज्य में नोडल एजेंसी — राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड
उद्देश्य	असंगठित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को औपचारिक बनाना, ऋण व तकनीक तक पहुँच देना
अवधि / वित्त पोषण	2020-21 से 2024-25; अब 2025-26 तक बढ़ाई गई; केंद्र : राज्य = 60 : 40
व्यक्तिगत इकाई को अनुदान	परियोजना लागत का 35% , अधिकतम ₹10 लाख — नई इकाई या विस्तार हेतु; अनुदान संबंधित बैंक शाखा को भेजा जाता है, 3 वर्ष लॉक-इन के बाद ऋण खाते में समायोजित
अन्य सहायता	स्वयं सहायता समूहों को बीज पूँजी; साझा अवसंरचना हेतु 35% अनुदान; ब्रांडिंग-विपणन सहायता
प्रगति 2025-26 (दिसंबर तक)	2,048 आवेदन → 1,518 बैंकों को भेजे → 414 को ₹23.54 करोड़ अनुदान स्वीकृत; 8 ज़िलों में 8 इन्क्यूबेशन केंद्र (₹23.11 करोड़ केंद्र द्वारा जारी)

- ▶ **राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 (8 सितंबर, बिड़ला सभागार जयपुर) :** मसाला किसान-व्यापारी-निर्यातक एक मंच पर; राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के **"राज स्पाइस ऐप"** का शुभारंभ — अब तक **~4,000 व्यापारी** पंजीकृत।
- ▶ **बजट 2026-27 : "मिशन राज GIFT"** — भौगोलिक संकेतक (GI) उत्पादों से उत्पादन-आजीविका में बदलाव; **लघु वन उपज प्रसंस्करण केंद्र** — बाँसवाड़ा व उदयपुर (आँवला, शहद, इमली, महुआ), जनजातीय युवाओं को रोज़गार; राष्ट्रीय मसाला कॉन्क्लेव।

(iii) विपणन

कृषि विपणन किसानों को उपभोक्ताओं से जोड़ता है, कीमतें स्थिर रखता है और आधुनिक खेती में निवेश बढ़ाता है। **राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड (1974) और कृषि विपणन निदेशालय (1980)** इसके प्रमुख संस्थान हैं।

योजना / संस्था	विवरण एवं प्रगति 2025-26 (दिसंबर तक)
 कृषक उपहार योजना	ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाज़ार) पोर्टल पर उपज बेचने वाले किसान को हर ₹10,000 की बिक्री पर एक डिजिटल कूपन (अधिक बिक्री पर उसी अनुपात में अधिक कूपन); मंडी व संभाग स्तर पर 798 लॉटरियों से ₹1.38 करोड़ के पुरस्कार
 सहकारी विपणन ढाँचा	285 क्रय-विक्रय एवं फल-सब्जी विपणन समितियाँ — उपभोक्ता वस्तुएँ ₹87 करोड़, कृषि आदान ₹357.30 करोड़, कृषि उपज ₹890 करोड़ का विपणन
 राजफ़ेड (किसानों का शीर्ष सहकारी विपणन संघ)	2025-26 में किसानों को 3,000 मी. टन उर्वरक व बीज वितरित; न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद में भी भूमिका
 कॉन्फ़ेड (उपभोक्ता सहकारी संघ — शीर्ष संस्था)	कालाबाज़ारी व कृत्रिम कमी से उपभोक्ताओं की सुरक्षा; 38 सहकारी थोक भंडार पंजीकृत, 33 ज़िला स्तर पर कार्यरत; ₹1,516.29 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध ₹1,073.82 करोड़ का व्यवसाय
 राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2025	9 से 18 मई 2025 , जवाहर कला केंद्र, जयपुर — राज्य व अन्य राज्यों की सहकारी संस्थाओं के गुणवत्तापूर्ण क्षेत्रीय उत्पाद
 मंडी विकास	मंडी यार्ड/उप-यार्ड, सड़क निर्माण व अन्य विभागों के जमा कार्यों पर ₹513.65 करोड़ व्यय; मंडी क्षेत्रों में 47.38 कि.मी. सड़क
 किसान कल्याण कोष	16 दिसंबर 2019 को ₹1,000 करोड़ से गठित; बाद में राशि बढ़ाई गई

- **याद रखें :** राजफ़ेड = किसान (Farmer) के लिए; कॉन्फ़ेड = उपभोक्ता (Consumer) के लिए। **बजट 2026-27 :** नई कृषि उपज मंडियाँ — बाँसवाड़ा, दौसा, श्रीगंगानगर; सब्जी मंडियाँ — सवाई माधोपुर, बयाना (भरतपुर); 250 व 500 मी. टन के 50-50 गोदाम (₹20 करोड़)।

11. समृद्ध खेती के लिए पशुधन

पशुपालन राज्य की, विशेषकर शुष्क व अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों की, **प्रमुख आर्थिक गतिविधि** है — पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में यह **सूखे-अकाल** के झटकों से बचाने वाली "ढाल" का काम करता है और ग्रामीण गरीबों को स्थिर आजीविका देता है।  **कुल पशुधन (पशुगणना 2019) — 568.01 लाख** (देश का 10.60%);  **कुक्कुट पक्षी — 146.23 लाख**।

पशु	देश में राजस्थान का हिस्सा (पशुगणना 2019)
 ऊँट	84.43%
 बकरी	14.00%
 भैंस	12.47%
 भेड़	10.64%
 गोवंश	7.24%

- 2023-24 में देश के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान — **दूध 14.51%** और **ऊन 47.53%**।

तालिका 1.10 : पशुधन उत्पादन

वर्ष	 दूध (हज़ार टन)	 मांस (हज़ार टन)	 अंडे (मिलियन)	 ऊन (लाख किग्रा)
2019-20	26,572	200	2,698	144
2020-21	30,723	201	2,488	157

वर्ष	दूध (हज़ार टन)	मांस (हज़ार टन)	अंडे (मिलियन)	ऊन (लाख किग्रा)
2021-22	33,265	221	2,688	156
2022-23	33,307	240	2,761	161
2023-24	34,733	247	3,087	160

तालिका 1.9 : पशु चिकित्सा संस्थाएँ

संस्था	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (दिसं.)
बहु-चिकित्सा केंद्र (पॉलीक्लिनिक)	35	38	48	73	98
ब्लॉक पशु स्वास्थ्य कार्यालय / प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय	788	813	831	848	873
पशु चिकित्सालय	2105	2095	2187	2242	2243
पशु चिकित्सा उप-केंद्र	5768	6030	7167	7563	7712
ज़िला चल पशु चिकित्सा इकाई	102	102	102	102	34

पशु स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति (2025-26)

बिंदु	विवरण
नई संस्थाएँ	700 नए पशु चिकित्सा उप-केंद्र; 2 नए पशु चिकित्सालय; 151 उप-केंद्र → चिकित्सालय; 101 चिकित्सालय → प्रथम श्रेणी; 50 प्रथम श्रेणी → पॉलीक्लिनिक; 2,423 नए पद सृजित
RIDF सहायता	नाबाई के ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष ट्रेंच-31 में 310 पशु चिकित्सालयों के भवन हेतु ₹144.15 करोड़ स्वीकृत
1962 चल पशु चिकित्सा सेवा	चिकित्सा आपातकालीन सेवा 108 की तर्ज़ पर ; कॉल सेंटर 1962 के माध्यम से 536 मोबाइल वाहन घर-घर सेवा; 2025-26 में 59.82 लाख पशुओं के उपचार से 15.30 लाख+ पशुपालक लाभान्वित
टीकाकरण	2025-26 (दिसंबर तक) कुल 571.90 लाख टीके; खुरपका-मुँहपका रोग (FMD) नियंत्रण के 5वें चरण में 1.86 करोड़ गाय-भैंस; लम्पी स्किन रोग से बचाव हेतु 108.30 लाख गोवंश निःशुल्क टीकाकरण
नस्ल सुधार	2.49 लाख बड़े व 4.47 लाख छोटे पशुओं का बधियाकरण; 17.09 लाख कृत्रिम गर्भाधान

पशु कल्याण एवं देशी नस्ल संरक्षण

- ▶ **ऊँट संरक्षण एवं विकास मिशन** : ऊँट प्रजनन व नवजात ऊँट बच्चों (टोडियों) के पालन हेतु सहायता — अब तक **25,364 टोडियों** के लिए **₹17 करोड़, 9,379 ऊँटपालक** लाभान्वित। **पशुधन निःशुल्क स्वास्थ्य योजना** : निःशुल्क दवाओं की संख्या **138 से बढ़ाकर 200**।
- ▶ **पशुमित्र योजना** : टैगिंग, टीकाकरण, बीमा, कृत्रिम गर्भाधान जैसी सेवाएँ किसानों तक पहुँचाना। **राष्ट्रीय पशुधन मिशन** : भेड़-बकरी की नस्ल सुधार तथा पशुपालकों को उद्यम स्थापित करने हेतु ऋण-अनुदान।

पशुपालक कल्याण योजनाएँ

योजना	मुख्य प्रावधान	प्रगति
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना	पशुओं का रोग व मृत्यु के विरुद्ध निःशुल्क बीमा; 1 दिसंबर 2025 से गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊँट जैसे देशी पशुओं का निःशुल्क बीमा; 100% प्रीमियम राज्य सरकार देती है; बीमा राशि — गाय, भैंस, ऊँट के लिए ₹40,000 तक और भेड़-बकरी के लिए ₹4,000 तक	2024-25 में 5.54 लाख परिवारों के 10.63 लाख पशु बीमित; 2025-26 में कुल 42 लाख पशुओं का लक्ष्य

योजना	मुख्य प्रावधान	प्रगति
 पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा	24 जून - 9 जुलाई 2025; योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक	25.19 लाख बीमार पशुओं का उपचार, 23.21 लाख टीकाकरण, 6.63 लाख पशुपालक लाभान्वित
 ग्रामीण सेवा शिविर अभियान 2025	शिविरों में पशु उपचार, टीकाकरण, कृमिनाशक दवा, बाहरी परजीवी-नाशक छिड़काव	21 लाख+ पशुओं का उपचार, 17.41 लाख टीकाकरण, 29.43 लाख को कृमिनाशक, 24.53 लाख पर छिड़काव; 10.29 लाख पशुपालक लाभान्वित
 राज सरस सुरक्षा कवच बीमा (9वाँ चरण)	दुग्ध उत्पादकों का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा — 1 फ़रवरी 2025 से 31 जनवरी 2026; मृत्यु/पूर्ण स्थायी विकलांगता पर ₹5 लाख , आंशिक स्थायी विकलांगता पर ₹2.50 लाख	दिसंबर 2025 तक 1,12,176 दुग्ध उत्पादक बीमित
 सरस सामूहिक आरोग्य बीमा	ज़िला दुग्ध संघों द्वारा दुग्ध उत्पादकों का स्वास्थ्य बीमा	19वें चरण में दिसंबर 2025 तक 33,516 उत्पादक बीमित
 मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना	1 फ़रवरी 2019 से; दुग्ध उत्पादकों को अनुदान ₹2 से बढ़ाकर ₹5 प्रति लीटर (2022-23 से)	2025-26 में ₹650 करोड़ के प्रावधान में से ₹519 करोड़ DBT से वितरित
 सक्रिय मछुआरों हेतु समूह दुर्घटना बीमा	मत्स्य कार्य में लगे लोगों का दुर्घटना बीमा — राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, हैदराबाद के माध्यम से	राज्य के लगभग 20,000 मछुआरों में से 2025-26 में 5,501 बीमित

गोपालन

राज्य देशी गोवंश नस्लों के संरक्षण व विकास को **गौशालाओं व नंदीशालाओं** के माध्यम से बढ़ावा देता है — "गौवंश संरक्षण एवं संवर्धन निधि 2016 व 2021" के अंतर्गत, साथ ही जैविक खेती-चारा उत्पादन-पंचगव्य मूल्य संवर्धन का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। राज्य में पृथक **गोपालन विभाग** 2014 में बना।

योजना	प्रावधान	प्रगति (दिसंबर 2025 तक)
गौशाला विकास योजना	पंजीकृत गौशालाओं में बाड़ा, चारा गोदाम, गोपालक आवास, पानी की टंकी आदि हेतु अधिकतम ₹10 लाख — सरकार : जनता = 90 : 10	12 गौशालाओं को ₹1.10 करोड़
पंजीकृत गौशालाओं को सहायता अनुदान	अनुत्पादक, दुर्घटनाग्रस्त व बीमार गोवंश के चारे-पानी हेतु: 1 अप्रैल 2025 से बड़े पशु ₹44 → ₹50 और छोटे पशु ₹22 → ₹25 प्रति पशु प्रतिदिन, 270 दिनों के लिए	3,043 गौशालाओं को ₹1,204.90 करोड़
पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला जनसहभागिता योजना	निराश्रित नर गोवंश की समस्या के समाधान हेतु; प्रति इकाई लगभग ₹1.57 करोड़ (90 : 10)	13 ज़िलों में ₹13.31 करोड़
ग्राम गौशाला / पशु आश्रय स्थल जनसहभागिता योजना	ग्राम पंचायत स्तर पर; अनुमानित लागत ₹1 करोड़ (90 : 10)	15 ग्राम गौशालाओं को ₹6.80 करोड़
वध/तस्करी से बचाए गए गोवंश हेतु अनुदान	गौशालाओं में रखे ऐसे गोवंश की 1 वर्ष तक देखभाल हेतु	6 गौशालाओं को ₹34 लाख
मूल्य संवर्धन प्रशिक्षण	गौ-उत्पादों के प्रसंस्करण का प्रशिक्षण — जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, पाली के संस्थानों में	13 बैच, 455 गौशाला प्रबंधक; ₹14.13 लाख

- ▶ ई-न्यूज़लेटर "**गोपालक वाणी**" — गोपालन योजनाओं, गौशाला प्रबंधन व गोवंश-आधारित अर्थव्यवस्था के नवाचारों की जानकारी हेतु। **बजट 2026-27/बजट चर्चा** : 100 गौशालाओं को रियायती दर पर **गौकाष्ठ मशीन**; **गो सेवा नीति 2026** लाने की घोषणा।

12. डेयरी विकास

डेयरी विकास कार्यक्रम सहकारी समितियों के माध्यम से चलता है — दिसंबर 2025 तक **19,643 डेयरी सहकारी समितियाँ**, **24 ज़िला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों** से और शीर्ष संस्था **राजस्थान सहकारी डेयरी फ़ेडरेशन लिमिटेड (RCDF)**, जयपुर (स्थापना 1977, ब्रांड "सरस") से जुड़ी हैं।

- ▶ **दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता — 51.40 लाख ली./दिन;** **औसत दुग्ध संकलन — 30.29 लाख किग्रा/दिन;** **दुग्ध उत्पादकों को भुगतान — ₹4,304.91 करोड़** (दिसंबर 2025 तक)। लगभग **10 लाख दुग्ध उत्पादक** सहकारी डेयरी कार्यक्रम से जुड़े हैं और उन्हें पूरे वर्ष दूध का भुगतान मिलता है।

तालिका 1.11 : डेयरी गतिविधियाँ 2025-26

गतिविधि	इकाई	लक्ष्य (दिसं. 2025 तक)	उपलब्धि
औसत दुग्ध संकलन	लाख किग्रा/दिन	36.95	30.29
औसत दुग्ध विपणन	लाख लीटर/दिन	26.63	22.60
पशु आहार बिक्री (संघ)	हज़ार मी. टन	356	219
पुनर्जीवित समितियाँ	संख्या	675	546
नई समितियाँ	संख्या	1467	627
कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान	हज़ार	310	194

- ▶ RCDF ने दिसंबर 2025 तक **3,66,758 मी. टन** पशु आहार बनाया व **3,65,466 मी. टन** बेचा; ज़िला दुग्ध संघों को अनुदानित दर पर **10,223 क्विंटल** उन्नत चारा बीज। उत्पाद — घी, छाछ, लस्सी, श्रीखंड, पनीर, दही, टेट्रा पैक दूध, मावा, आइसक्रीम, फ़्लेवर्ड दूध, बर्फी, पेड़ा; दिसंबर 2025 तक **21,669 मी. टन घी** का विपणन।

बजट 2026-27 — डेयरी

राजस्थान सहकारी डेयरी अवसंरचना विकास कोष : ₹1,000 करोड़ से बढ़ाकर **₹2,000 करोड़**। **सरस ब्रांड विस्तार :** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में।

मुर्गी दाना इकाई : तबीजी (अजमेर)। नए/विस्तारित डेयरी संयंत्र — अलवर (≈3 लाख ली./दिन), बारौ व सिरोही (50-50 हज़ार ली./दिन), जैसलमेर संयंत्र की क्षमता 30 से 50 हज़ार ली./दिन।

मत्स्य पालन

मत्स्य क्षेत्र राज्य के जल संसाधनों का उपयोग करते हुए **सस्ता, प्रोटीन-युक्त भोजन** और विशेषकर ग्रामीण-वंचित समुदायों को **रोज़गार** देता है। **कुल जल क्षेत्र — 4.30 लाख हेक्टेयर** (बड़े-मध्यम जलाशय 3.36 लाख हे. + छोटे तालाब-टैंक 0.94 लाख हे.)।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)

बिंदु	विवरण
शुभारंभ / उद्देश्य	10 सितंबर 2020; मछली उत्पादन बढ़ाना, मत्स्य अवसंरचना सुधारना, आजीविका बढ़ाना (तालाब, झींगा पालन, पिंजरा पालन, आहार मिल पर अनुदान)
2025-26 (दिसंबर तक)	19 लाभार्थियों को 17.06 हे. मछली तालाब; 5 को 8.80 हे. झींगा पालन तालाब; 12 पिंजरा पालन इकाइयाँ (18/इकाई); 5 को परिवहन वाहन; कुल 41 लाभार्थियों को ₹467.72 लाख (जन आधार DBT, SNA स्पर्श पोर्टल)

 तालिका 1.12 : मछली उत्पादन, मत्स्य बीज एवं राजस्व

वर्ष	मछली उत्पादन (मी. टन)	मत्स्य बीज उत्पादन/संचय (मिलियन फ़ाई)	राजस्व (₹ करोड़)
2021-22	65,693.92	1,181.40	41.35
2022-23	79,286.40	1,197.74	68.92
2023-24	91,349.43	1,364.00	67.95
2024-25	1,13,647.21	1,382.39	66.66
2025-26 (दिसं. तक)	78,013.03	1,335.90	20.25

- **खारे पानी की जलीय कृषि प्रयोगशाला, चूरू** : शुष्क-अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में खारे पानी के संसाधनों से **झींगा पालन** को बढ़ावा — झींगा पालकों को खारे पानी की जाँच सेवा; निर्माण पूर्ण।

13. किसान एवं कृषि श्रमिक कल्याण

किसान केवल भोजन पैदा नहीं करते, बल्कि ग्रामीण आजीविका व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के आधार हैं — बाज़ार कीमतों के उतार-चढ़ाव व जलवायु परिवर्तन के बीच कल्याण योजनाएँ **आय को स्थिर रखती हैं** और **छोटे किसानों व भूमिहीन श्रमिकों** को शिक्षा-स्वास्थ्य-सामाजिक सुरक्षा से जोड़ती हैं।

योजना	मुख्य प्रावधान	प्रगति (दिसंबर 2025 तक)
 पीएम किसान पोर्टल	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में पंजीकरण व भूमि सत्यापन	भूमि सत्यापन हेतु 75.17 लाख आवेदन; 21वीं किस्त में 65.29 लाख किसानों को ₹1,305.80 करोड़ ; 69.42 लाख किसानों का ई-केवाईसी व आधार सीडिंग; लाभार्थियों की संख्या में राज्य देश में 5वें स्थान पर
 मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना	पीएम किसान के लाभार्थियों को अतिरिक्त राज्य सहायता (घोषणा बजट 2024-25); बजट 2025-26 में वार्षिक सहायता ₹2,000 से बढ़ाकर ₹3,000	4थी किस्त में 71.79 लाख किसानों को ₹717.96 करोड़ (₹1,000 प्रति किसान, DBT)
 लघु एवं सीमांत वृद्ध कृषक सम्मान पेंशन योजना	पात्र — महिला 55+ और पुरुष 58+ वर्ष के लघु-सीमांत किसान; ₹1,250 प्रति माह (बजट चर्चा फ़रवरी 2026 : ₹50 बढ़ाकर ₹1,300; आगामी वर्ष ₹1,350)	1.97 लाख लाभार्थी; ₹234.89 करोड़ व्यय
 राजस्थान कृषक समर्थन योजना	न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के ऊपर ₹150 प्रति क्विंटल बोनस	राज्य सरकार द्वारा ₹320.50 करोड़ का भुगतान
 MSP पर गेहूँ खरीद (रबी विपणन मौसम 2025-26)	10 मार्च – 30 जून 2025; MSP ₹2,425 प्रति क्विंटल	327 केंद्रों से 21.37 लाख मी. टन खरीद, 1.73 लाख किसान लाभान्वित
 राजस्थान कृषक ऋण माफ़ी योजना	30 नवंबर 2018 को बकाया अल्पकालीन फ़सली ऋण माफ़; योजना 2019 में अवधिपर मध्यम व दीर्घकालीन ऋण पर ₹2 लाख तक अतिरिक्त राहत	20.92 लाख किसानों को ₹7,881.89 करोड़ की राहत (मार्च 2025 तक)
 समेकित बाल विकास सेवाओं में पूरक पोषाहार	कॉन्फ़ेड के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों पर पूरक पोषण सामग्री की आपूर्ति	लगभग 63,000 आंगनबाड़ी केंद्र; ₹662.50 करोड़ की आपूर्ति
 किसान कलेवा योजना	"सुपर", "ए" और "बी" श्रेणी की कृषि उपज मंडी समितियों में किसानों व मज़दूरों को ₹5 में गुणवत्तापूर्ण भोजन; फल-सब्ज़ी मंडी यार्ड छोड़कर सभी आर्थिक रूप से सक्षम मंडियों तक विस्तार	18.26 लाख किसान व श्रमिक लाभान्वित; ₹5.09 करोड़ व्यय
 महिला कृषक प्रशिक्षण	ग्राम पंचायत स्तर पर एक-दिवसीय प्रशिक्षण; 30 महिला किसानों के प्रति प्रशिक्षण पर ₹3,000 सहायता; कृषि तकनीक का प्रसार	2025-26 में 10,105 प्रशिक्षण, 3.03 लाख महिलाएँ लाभान्वित
 कृषि शिक्षा में छात्राओं को प्रोत्साहन	वरिष्ठ माध्यमिक (कृषि) — ₹15,000/वर्ष ; बी.एससी./एम.एससी. (कृषि) — ₹25,000/वर्ष ; पीएच.डी. — ₹40,000/वर्ष	25,862 छात्राओं को ₹48.03 करोड़

योजना	मुख्य प्रावधान	प्रगति (दिसंबर 2025 तक)
👉 मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना	कृषि व विपणन कार्य के दौरान दुर्घटना/मृत्यु पर आर्थिक सहायता — किसान, खेतिहर मज़दूर और हम्माल	1,938 लाभार्थियों को ₹31.06 करोड़

👉 महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना (2015)

- कृषि उपज मंडियों के श्रमिकों के कल्याण हेतु 2015 में शुरू; 2025-26 (दिसंबर तक) 698 श्रमिकों को ₹3.51 करोड़ की सहायता।

सहायता का प्रकार	प्रावधान	प्रगति 2025-26
👤 प्रसूति सहायता	अनुज्ञप्तिधारी महिला श्रमिक को 45 दिन की मज़दूरी के बराबर राशि (अधिकतम दो प्रसव); नवजात के पिता को 15 दिन की मज़दूरी	24 महिला श्रमिकों को ₹1.18 लाख
💍 विवाह सहायता	स्वयं के विवाह या अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह पर ₹75,000	461 श्रमिकों को ₹341 लाख
📚 छात्रवृत्ति / मेधावी पुरस्कार	श्रमिकों के 60% या अधिक अंक लाने वाले बच्चों को	181 विद्यार्थियों को ₹7.11 लाख
🏥 चिकित्सा सहायता	कैंसर, हृदय, यकृत, गुर्दा जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु ₹20,000	6 श्रमिकों को ₹1.05 लाख

💰 14. बजट 2026-27 : कृषि से जुड़ी प्रमुख घोषणाएँ

- 🌾 कुल कृषि बजट 2026-27 — ₹1,19,408 करोड़ (कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र), जिसमें से समेकित निधि से ₹69,422.99 करोड़; 📈 पिछले वर्ष से वृद्धि 7.59% (GSDP का 5.55%)।

मद (कृषि बजट 2026-27)	राशि (₹ करोड़)
(क) कृषि अनुदान (Subsidy)	42,191.11
कृषि बिजली टैरिफ़ अनुदान	33,272.39
विभिन्न योजनाओं पर अनुदान	4,724.37
ब्याज अनुदान (ऋण)	1,683.50
गौशालाओं को अनुदान	1,401.22
डेयरी विपणन अनुदान	724.00
(ख) कृषि-आधारित अन्य गतिविधियाँ	57,271.55
कृषि साख (ऋण)	25,480.00
कृषि उपज मंडी समितियाँ	9,001.71
सामाजिक सुरक्षा	7,039.83
कृषि बीमा	5,987.93

- राज्य के 5 कृषि विश्वविद्यालयों हेतु ₹390.08 करोड़।

🎯 प्रमुख घोषणाएँ — विषयवार

क्षेत्र	घोषणा
🎯 लक्ष्य	वर्ष 2047 तक राजस्थान को तकनीक-आधारित अग्रणी कृषि शक्ति बनाना; फ़ोकस — कृषि विकास + कृषक कल्याण + अन्नदाता की आय वृद्धि

क्षेत्र	घोषणा
 सिंचाई	सूक्ष्म सिंचाई का हिस्सा सकल बोए गए क्षेत्र में 24% से बढ़ाकर 2030 तक 51% ; सिंचाई कार्यों पर ₹11,300 करोड़ से अधिक; लगभग 5,000 गाँवों में 1.10 लाख जल संग्रहण संरचनाएँ (₹2,500 करोड़); यमुना जल — हथिनीकुंड बैराज से शेखावाटी (सीकर, झुझुनूँ, चूरू) तक
 सौर ऊर्जा	किसानों हेतु 50,000 सौर पंप (₹1,500 करोड़); 500 सौर फ़सल ड्रायर
 तारबंदी (नीलगाय व जंगली पशुओं से सुरक्षा)	आगामी वर्ष 50,000 किसान, 20,000 कि.मी. तारबंदी, ₹228 करोड़ अनुदान; सामुदायिक तारबंदी के लिए न्यूनतम किसानों की संख्या 10 से घटाकर 7
 वर्मी-कम्पोस्ट	5,000 से अधिक आबादी वाली 3,496 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध रूप से वर्मी-कम्पोस्ट इकाइयाँ
 डिजिटल कृषि	Raj-AIMS (राजस्थान कृषि सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली) — कृत्रिम बुद्धिमत्ता, GIS, सुदूर संवेदन व उपग्रह चित्रों से मौसम-आधारित सलाह; एग्री-स्टैक PMU — डेटा-आधारित सेवाएँ; कार्बन क्रेडिट पायलट परियोजना
 यंत्रीकरण	500 नए कस्टम हायरिंग केंद्र (₹96 करोड़); कृषि यंत्रों पर ₹160 करोड़ अनुदान
 उपनिवेशन क्षेत्र राहत	कृषि भूमि की बकाया किस्तें 1 अप्रैल - 30 सितंबर 2026 के बीच एकमुश्त जमा करने पर ब्याज में 100% छूट
 गोहूँ खरीद 2026-27 (बजट चर्चा, 27 फ़रवरी 2026)	MSP ₹2,585 + राज्य बोनस ₹150 = ₹2,735 प्रति क्विंटल ; खरीद 10 मार्च 2026 से; लगभग 383 केंद्र; खरीद एजेंसियाँ — भारतीय खाद्य निगम के साथ NAFED, NCCF और राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम
 अन्य	कृषि विपणन के नए खंड कार्यालय — पाली, प्रतापगढ़, भरतपुर, बारों; ज्ञान संवर्धन कार्यक्रम में 3,300 किसानों का भ्रमण; बूँदी की केशोरायपाटन शुगर मिल को PPP मोड पर चलाने के प्रयास

अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं तथ्य

कार्यक्रम	विवरण
 ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (GRAM) 2026	राज्य स्तरीय कृषि-तकनीक सम्मेलन, जयपुर; इसकी तैयारी में 23 जनवरी 2026 से प्रदेश के प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर लगभग 2,839 ग्राम उत्थान शिविर
 राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025	राजस्थान से — हरिषेठ झूरिया (सीकर) : सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान (तृतीय); विकास कुमार (हनुमानगढ़) : सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (द्वितीय)
 गौकाष्ठ लोहड़ी उत्सव	जयपुर, 13 जनवरी 2026 — लकड़ी की जगह गोबर से बनी "गौकाष्ठ" के उपयोग को बढ़ावा
 कृषक अधिकार पंजीयन पखवाड़ा	एग्री-स्टैक के तहत किसानों का डिजिटल पंजीयन (किसान पहचान) अभियान
 कृषि ज्ञान धारा 2.0	16 अक्टूबर 2025, दुर्गापुरा (जयपुर) — "हरित दर्पण" पत्रिका का विमोचन
 छत पर खेती (Rooftop Farming)	दुर्गापुरा (जयपुर) से आयोजन — जयपुर नगर निगम क्षेत्र में छतों पर सब्जी उगाने को बढ़ावा

मुख्य परीक्षा दृष्टि से — अध्याय का सार (विश्लेषण)

पशुधन = कृषि की रीढ़ : कृषि GVA में पशुधन (49.35%) > फ़सलें (42.61%); सूखा-प्रवण राज्य में पशुपालन आय को स्थिर रखता है — इसलिए मंगला पशु बीमा, 1962 सेवा, गोपाल क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाएँ केंद्र में हैं।

मानसून पर निर्भरता : 2025-26 में खरीफ़ अनाज 26.71% घटा व कृषि की वास्तविक वृद्धि 0.22% रह गई — समाधान : सूक्ष्म सिंचाई (24% → 51%), सूखा-रोधी फ़सलें, जल संरक्षण।

विखंडन की चुनौती : औसत जोत 3.07 से घटकर 2.73 हे.; सीमांत जोतें 40% से अधिक — समाधान : सहकारिता, FPO, कस्टम हायरिंग केंद्र, ऊर्ध्वाधर खेती जैसी तकनीकें।

मूल्य संवर्धन की दिशा : बाजरा, सरसों, ग्वार, जीरा में अग्रणी होने के बावजूद प्रसंस्करण कम — PM-FME, मसाला कॉन्क्लेव, राज स्पाइस ऐप, मिशन राज GIFT, GI उत्पाद इसी कमी को दूर करने के कदम हैं।